बैंक का ब्याज़

8-11 दिसम्बर 1989 ई0 को जामिया हमदर्द दिल्ली में आयोजित दूसरे फ़िक्ही सेमिनार में निम्न प्रस्ताव पास हुआ।

बैंक में रक़म पर मिलने वाला ब्याज रिबा (सूद) है, इस बात पर सेमिनार में शरीक सभी लोग सहमत हैं। ब्याज़ की रक़म बैंकों से निकाली जाए या उसी में छोड दी जाए अगर निकाली जाए तो कहां ख़र्च की जाए? इस बारे में यह तय हुआ किः

1– बैंकों से मिलने वाली सूद की रक़म बैंकों में न छोडी जाए, बल्कि उसे निकाल कर निम्न तरीक़ों से ख़र्च किए जाए।

2- बिना सवाब की उम्मीद और नीयत के इस रक़म को फ़क़ीरों और मिस्कीनों पर ख़र्च कर दिया जाए। इस पर तमाम सदस्य सहमत हैं।

3- सूद की रक़म को मस्जिदों और उन से संबंधित चीज़ों या कामों पर ख़र्च नहीं किया जा सकता।

4- अधिकतर सदस्यों का मानना है कि इस रक़म को ज़रूरी सदक़ात में ख़र्च के अलावा सार्वजनिक हित के कामों के लिए भी ख़र्च किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे केवल फ़क़ीरों और मिस्कीनों को ही दिया जाना चाहिए।

☆☆☆